

न्यायालय कक्ष

नस्ती क्रमांक/प्रशा.-1/153/न्याया./

अ.प्र.मु.व.स.(प्रशा.-1)

पृष्ठ संख्या

विषय : ओ0ए0 नं0 299/2016 द्वारा डॉ. आर.व्ही.एस. कुशवाहा विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव भेजने बाबत।

वि.पत्र - मु.व.सं., मध्य वृत्त जबलपुर का पत्र क्रमांक/विधि/2302 दिनांक 14.03.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत ओ.ए. नं0 299/2016 द्वारा डॉ. आर.व्ही.एस. कुशवाहा द्वारा म.प्र.शासन, वन विभाग भोपाल के स्थानांतरण आदेश दिनांक 5.3.2016 के विरुद्ध याचिका मान. केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में सुनवाई दिनांक 11.3.16 को मान. केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा अंतरिम रूप से स्थगन याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया है। उक्त प्रकरण की आगामी सुनवाई 30.3.16 निर्धारित की गई है।

अतः उक्त प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने संबंधी आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें। याचिका की प्रति संलग्न है।

संलग्न :- पृष्ठ 01 से तक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-1)

पदेन सचिव, वन (आई.डी.सी.)

उपरोक्त प्रस्तावानुसार, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया। कृपया पक्ष समर्पण का आदेश जारी करने का कष्ट करें।
विधि विभाग

126
18/03/16

0367

क्र. 44/2016
24-3-16

24.3.16

18.3.16

न्यायालय कक्ष

अ.प्र.मु.व.स.(प्रशा.-1)

नस्ती क्रमांक/प्रशा.-1/153/न्याया./

पृष्ठ संख्या

विषय : ओ0ए0 नं0 299/2016 द्वारा डॉ. आर.वी.एस. कुशवाहा विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव भेजने बाबत।

-2-

Item No.7(Addl.List)
O.A.200/000299/2016
11.03.2016.

Shri Manoj Sharmaa, learned
counsel for the applicant.

Shri Vijay Pandey learned. for the
respondents

Heard.

Issue notice to the respondents as
per rules.

Respondents to file reply within period
of 30 days.

Respondents are directed to file their
short reply to the prayer for interim relief
within a period of 15 days. For this
purpose applicant must ensure that the
respondents are served notices within a
period of 7 days, if necessary, through
dasti.

Also heard on the prayer for interim
relief.


The respondents are directed not to
relieve the applicant, if he has not already
been relieved, in pursuance of the order
dated 05.03.2016 (Annexure-A1), till the next
date of hearing.

List this matter for orders on 30.03.2016.


(G.P. Singhal)

Administrative Member




11.3.16

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
JABALPUR BENCH, JABALPUR
 15, 'CARAVS' Building, Civil Lines, Jabalpur - 482001

No. 1826
11.3.16

Dated : 11.03.2016.

Original Application No.200/00299/2016

Dr. R.B.S.Kushwaha

APPLICANT(S)

VERSUS

Union of India and Others

RESPONDENT(S)

To, *Shri. Pandey*
Shri. V. S. Pandey, Advocate
Jabalpur

Sir,

Please find enclosed herewith a copy of order dated 11.03.2016 passed by Hon'ble Tribunal in aforesaid case. Please act accordingly.

Encl: Copy of Order Sheet
 dated 11.03.2016

By Order
11.3.16
 Section Officer

(P.T.O.)

checked for date -
11-3-16

1

**BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE
TRIBUNAL AT JABALPUR**

O.A. NO. 299 /2016.

APPLICANT

Dr. R.B.S. Kushwaha.

-Versus-

RESPONDENTS:

Union of India and Another.

I N D E X

Sl.No	Particulars	Annexure No.	Page No.
1.	Index, Synopsis, Original Application.		1-8
2.	Copy of the impugned order dated 5.3.2016.	A/1	9-12
3.	Copy of representation dated 27.02.2016; 29.01.2016 and 21.08.2016.	A/2	13-16
4.	Copy of order dated 21.01.2015.	A/3	17-18
5.	Vakalatnama		19

JABALPUR

DATE: 08/03/16

Manojdeep
(A. Gupta)
MANOJ SHARMA
COUNSEL FOR APPLICANT.

Am

**BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE
TRIBUNAL AT JABALPUR**

O.A. NO. _____/2016.

APPLICANT

Dr. R.B.S. Kushwaha.

-Versus-

RESPONDENTS

Union of India and Another.

SYNOPSIS/DATES AND EVENTS

DATES

EVENTS


05.03.2016


The applicant was shocked and surprised to see that vide impugned order dated 05.03.2016 **Annexure A/1** whereby the State Government has transferred applicant from Betul to Bhopal without application of mind.

30.06.2016

That it is pertinent to mention here that applicant is due for his superannuation on 30.06.2016, hence now the applicant has left with five to six months before his retirement.

**JABALPUR
DATE:**


**MANOJ SHARMA
COUNSEL FOR APPLICANT.**



मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ ०९९

भोपाल, दिनांक : 18/03/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, जबलपुर को माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर की याचिका क्रमांक/299/2016 द्वारा डॉ. आर.डी.एस. कुशवाहा विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में शासन की ओर से म.प्र. राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने लिए एवं कार्य करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश किया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वे अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी स्थिति में जिसके बारे में नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से प्रभारी करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, जब विधि विभाग को सूचित करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग को भेजेगा।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।

- (14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकदमा है तो यह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव एतद् उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ संस्कार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटें जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा सक्षम अधिकारी का जहाँ से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का सल्लेख विलोपित कराते हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(अधीन के श्री मुख्य सचिव)
सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव


मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक : 18/03/2016

पृ. क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 099

प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल।
3. जिलाध्यक्ष जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र.।
4. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, जबलपुर प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित कर साथ ही शासकीय अधिवक्ता से व्यक्तिगत भेंट कर संबंधित न्यायालय में दिनांक 30.03.2016 के पूर्व जबाबदाया प्रस्तुत करने "उपस्थिति प्रमाण पत्र" प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति/रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
5. ~~मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1) म.प्र. शासन~~ की ओर लेख है कि प्रकरण से संबंधित याचिका एवं समस्त दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सौंपकर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त जबलपुर म.प्र.।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1) की ओर उनकी अशासकीय टीप क्रमांक/106 दिनांक 17.03.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।
8. उप वन संरक्षक न्यायालयीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. रजिस्ट्रार, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर।
10. शासकीय अधिवक्ता, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर।
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता शिकायत/नोडल अधिकारी न्यायालयीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल।


वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग